

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

Frequently Asked Questions & Answers

क्रमांक	प्रश्न	प्रतिउत्तर
1.	मैंने नगर विकास प्रन्यास द्वारा जारी आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड का क्रय किया प्रश्न हैं, वह नगर विकास न्यास प्रन्यास के रिकॉर्ड में मेरे नाम किस प्रकार दर्ज (नामान्तरण) हो सकता है ?	इस हेतु सर्वप्रथम आपको SSOID पर Login कर अपने भूखण्ड की यूनिक प्रोपर्टी आईडी जनरेट करने के लिए आवेदन करना होगा। प्रापर्टी आईडी जनरेट होने के पश्चात् नामान्तरण के लिए आवेदन कर, ऑनलाईन ही राशि जमा कर e-sign द्वारा जारी नामान्तरण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
2.	मैं मेरी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन कराकर ले-आउट प्लान अनुमोदित कराना चाहता हूँ। आवेदन कैसे करूँ ?	न्यास की भण्डार शाखा से 90-ए का आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरकर न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
3.	अतिक्रमण के बारे में शिकायत कहां करें ?	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
4.	सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण कैसे करें ?	न्यास के कुल 06 सामुदायिक केंद्र हैं न्यास के सामुदायिक केंद्र के आरक्षण करने हेतु आपको SSOID पर Login कर न्यास आरक्षण करना होगा।
5.	नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कराना चाहता हूँ। परमिशन के लिए क्या करूँ ?	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
6.	उपविभाजन/पुनर्गठन के लिए आवेदन कैसे करूँ ?	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

7.	दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त कैसे करु ?	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
8.	लीजमुक्ति प्रमाण पत्र के लिये क्या करें ?	न्यास से लीजमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आपको SSOID पर Login कर आवेदन करना होगा।
9.	रोड़ कटिंग की अनुमति का आवेदन कैसे करें ?	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
10.	सड़क मरम्मत/नाली निर्माण के लिये आवेदन कैसे करें ?	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
11.	संस्था को भूमि आवंटन के लिये आवेदन कैसे करें ?	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
12.	कार्य राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?	कार्य प्रमाणित किये जाने के बाद न्यास द्वारा किये गये कार्य की राशि का भुगतान किया जाता है।
13.	कार्मिक की शिकायत	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
14.	कार्मिक के सेवा संबंधित कार्यवाही	न्यास की नागरिक सेवा केन्द्र की शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
15.	ट्री-गार्ड लेने के संबंध में क्या करें ?	वर्तमान में न्यास द्वारा किसी प्रकार के ट्री-गार्ड Issue नहीं किये जा रहे हैं।